

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 77 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 93

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)

श्री ऋषिराज चौबीसा पुत्र श्री कमलेश
चौबीसा निवासी ई-26-27, अमरदीप नगर,
बांसवाड़ा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स राधिका
ट्रेडर्स, पुराना बस स्टेण्ड, बांसवाड़ा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 12-08-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री शशिकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 04-07-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 22-03-2024 को बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु 2.00 पी.एम. बजे मैसर्स राधिका ट्रेडर्स, पुराना बस स्टेण्ड, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री ऋषिराज चौबीसा पुत्र श्री कमलेश चौबीसा उपस्थित थे। मैसर्स राधिका ट्रेडर्स, पुराना बस स्टेण्ड, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में बादाम (लूज) लगभग 5 किग्रा रखा पाया। जिसको एफ. एस.एस.ए के तहत देखने पर मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर बादाम (लूज) जाँच हेतु विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए बादाम (लूज) 2 किग्रा वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय कर इनकी कीमत 1600/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा बादाम (लूज) 2 किग्रा को साफ सुखे प्लास्टिक के जारो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एयर टाईड ढक्कन बंद कर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1775 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/183 दिनांक 18-04-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 375 दिनांक 02-04-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया बादाम (लूज) का नमूना कोड क्रमांक W-1775 Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा बादाम (लूज) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 11-07-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 12-08-2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/183 दिनांक 18-04-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 375 दिनांक 02-04-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया बादाम (लूज) का नमूना कोड क्रमांक W-1775 Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य

साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।



स्वायं निर्णयन अधिकारी
(प्रति-जिला कलेक्टर)
बॉसवाडा (राज.)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard पाया गया बादाम (लूज) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री ऋषिराज चौबीसा पुत्र श्री कमलेश चौबीसा निवासी ई-26-27, अमरदीप नगर, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स राधिका ट्रेडर्स, पुराना बस स्टेण्ड, बांसवाडा (राज.) 5000/- (अक्षरे रू पाँच हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 12-08-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
जिला न्यायालय
(अतिरिक्त जिला सजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)